भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
सीप्ज़–विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY
अंधेरी (पूर्व), मुंबई/ 400096– ANDHERI (EAST), MUMBAI–400 096
टेलि/Tel-022-28294719/ फैक्सFax-28291385
ई-मेल/Email-dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट/website-www.seepz.gov.in

सं.सीप्ज़-सेज़/इस्टेट/आरक्यू-एनआरक्यू/220/2017-18/वॉल्यू-I/ दिनांकः 11.05.2020

<u>निविदा आमंत्रण सूचना</u>

विषयः- सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पू), मुंबई के सीप्ज़ परिसर तथा सीप्ज़ स्टाफ कॉलोनी में स्थित सभी भवनों के (दिन प्रतिदिन के सिविल/विद्युत/नलसाजी/बढ़ईगीरी/पेंटिंग कार्यों) के वार्षिक अनुरक्षण से संबंधित निविदा सूचना ।

सीप्ज़-सेज़ क्षेत्र में सभी भवनों तथा सीप्ज़ स्टाफ कॉलोनी भवनों के दिन प्रतिदिन के मरम्मत कार्यों के लिए आवश्यक कोटि की जनशक्ति तथा सामग्री की पूर्ति का कार्य करने वाली प्रतिष्ठित तथा वित्तीय दृष्टि से सक्षम फर्मों से दो बोली प्रणाली में मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है । ऐसे फर्में जो निम्नलिखित न्यूनतम मानदंड पूरा करते हों, इनके लिए आवेदन कर सकते हैं:-

(i) आवेदक स्थानीय पीडब्लूडी (महाराष्ट्र सरकार)/सीपीडब्लूडी/एमजेपी/रेलवे/सिडको प्राधिकरणों से पंजीकृत हो ।

(ii) आवेदक भवनों/सड़कों/नालों के दिन प्रतिदिन के मरम्मत कार्यों को उसके लिए आवश्यक सामग्री का प्रयोग करके अच्छी तरह पूरा कर सकने में सक्षम हो ।

(iii) आवेदक को केंद्रीय सरकार/केंद्रीय सरकार उपक्रमों/महाराष्ट्र सरकार/महाराष्ट्र सरकार के स्वायत्त निकायों तथा प्राइवेट सेक्टर में इस प्रकार के कार्य करने का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव हो ।

(iv) नियोजित व्यक्तियों के पूर्ववृत्तों की भलीभांति जांच पड़ताल करवा करके तथा उनका विवरण (नाम, पता, टेलीफोन नं., फोटोग्राफ) इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा ।

(v) वेंडर जिनके पास जीएसटी पंजीकरण होगा, वे जीएसटी पंजीकरण आदि की प्रतिलिपि के साथ निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं ।

(II) <u>ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें:-</u>

2.1	निविदा दस्तावेजों की कीमत	निःशुल्क
2.2	पूर्व बोली सम्मेलन	वीडियो कॉनफरेन्स के जरिए दिनांक 26.05.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे । अतएव, इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे दिनांक 25.05.2020 के पूर्व सायं 17.00 बजे तक अपना वैध ई-मेल आइडी तथा मोबाइल नं. jdcseepz-mah@nic.in पर भेज दें ताकि इस कार्यालय के लिए सफलतापूर्वक वीडियो कॉनफरेन्स का आयोजन किया जा सके ।
2.3	विधिवत भरी गई मुहरबंद	दिनांक 01.06.2020 को अपराह्न 14.30 बजे तक डाक

	निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	द्वारा/कूरियर द्वारा/व्यक्तिगत तौर से/प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम सहायक विकास आयुक्त, प्रशासन द्वारा पावती के अधीन ।
2.4	निविदा दस्तावेज़ों के खोले जाने की तारीख व समय	**दिनांक 01.06.2020 को अपराह्न 15.30 बजे** सीप्ज़ सेवा केंद्र के दूसरे तल पर स्थित सम्मेलन हॉल में, यदि संभव हुआ तो ।
2.5	प्रतिभूति जमा/निष्पादन गारंटी जमा (पीजीडी)	**10.00 लाख रूपए मात्र** ।
2.6	बयाना जमा राशि (ईएमडी)	10,000/- (दस हजार रूपए मात्र) प्रतिदेय अथवा एमएसएमई/एनएसआइसी द्वारा जारी छूट प्रमाणपत्र ।
2.7	संबंधित कार्यों को पूरा किए जाने का अनुमानित समय	12 (बारह) कैलेंडर महीने जिसमें मानसून शामिल है ।

(III) कार्य-क्षेत्र

1. सीप्ज़-सेज़ क्षेत्र मुंबई के मध्य में अर्थात अंधेरी (पूर्व) में जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड के निकट 110 एकड़ भूमि में फैला हुआ है ।
2. सीप्ज़-सेज़ परिसर में अनेक आइटी कंपनियों तथा आभूषण विनिर्माण करने वाली यूनिटों ने 100% निर्यात के उद्योग स्थापित किए हैं ।
3. इस समय सभी एसडीएफ भवनों का संरचनात्मक ढ़ांचा अच्छी स्थिति में नहीं है तथा प्राथमिकता के स्तर पर इनको अपग्रेड किया जाना आवश्यक है । यूनिटधारकों की मुख्य शिकायत दिवाल के बाहरी सतह से वर्षाजल के रिसाव की है । वर्षाजल का रिसाव क्षतिग्रस्त मुंडेर की दिवारों, छत की सतह से देखा जा रहा है । लिफ्ट रूम तथा स्टेयरकेस केबिन के बाहरी/भीतरी सतह भी क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं जिनकी प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत करवाई जानी आवश्यक है ताकि इसके चलते होने वाली अवांछित दुर्घटनाओं को रोका जा सके । मौजूदा जी आइ जल पूर्ति वितरण लाइनों में भी जंग लग गई है जिनको बदला जाना आवश्यक है ताकि जल की बर्बादी का रोका जा सके । भवनों के डक्ट पोर्शन में जल निकास आउटलेट पाइपे भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं जिनके स्थान पर नई पाइपें लगवाई जानी आवश्यक हैं ।

   मौजूदा क्षतिग्रस्त एल्यूमिनियम विंडो के बदले नए एल्यूमिनियम विंडो लगाए जाने हैं । स्टेयरकेस केबिन के क्षतिग्रस्त फ्लोरिंग तथा स्टेप्सों के ट्रेडर्स तथा राइज़रों के स्थान पर नए ग्रेनाइट स्टोन राइज़र तथा ट्रेडर लगवाए जाने हैं । प्रभारी इंजीनियर तथा सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले अनुदेशों के अनुसार पुराने तथा नए कार्यों का पहले तथा बाद में फोटो के साथ रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है । सफल बोलीदाता को नियोजित श्रमिकों का रजिस्टर में हिसाब रखना जिससे दैनिक प्रगति रिपोर्ट का पता चल सके । सफल बोलीदाता को सीप्ज़-सेज़ प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार कार्य प्रगति का रजिस्टर भी रखना है । सफल बोलीदाता को सीप्ज़-सेज़ प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार प्रतिदिन कार्य प्रगति रजिस्टर भी रखना होगा जिसमें संचलन फोटोग्राफ के साथ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का विवरण दर्ज़ होगा । ऐसी सूचना के लॉगइन तथा अपडेशन के लिए वेबसाइट तैयार किए जाने का विचार है । श्रमिकों की संरक्षा तथा क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कार्य निष्पादित किया जाएगा । सफल

बोलीदाता को कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए पूर्णकालिक तथा जिम्मेदार साइट इंजीनियर नियोजित करना होगा ।

4. **निविदा में सभी एसडीईएफ भवनों/जी एंड जे कॉम्पलेक्स भवनों तथा सीप्ज़ स्टाफ कॉलोनी भवनों के लिए उपर्युक्त सभी आइटम शामिल है ।**

सफल बोलीदाता को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों / निबंधन तथा शर्तों के अधीन कार्य करना है:-

क. चयनित एजेन्सी वित्तीय दृष्टि से सक्षम हो तथा सीप्ज़ परिसर तथा सीप्ज़ स्टाफ क्वार्टरों में आवश्यक सभी सिविल तथा विद्युत संबंधी कार्यों मानीटर करने में सक्षम हो ।

ख. सीप्ज़ प्राधिकरण द्वारा सफल बोलीदाता को सीप्ज़ परिसर में निविदा की वैधता अवधि तक पीसी तथा प्रिंटर के साथ उचित स्थान पर कार्यालय स्थल का अस्थायी रूप से निःशुल्क आबंटन किया जाएगा ।

ग. सीप्ज़ प्राधिकरण द्वारा कार्यालय स्थल पर इन्टरकॉम सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।

घ. एजेन्सी को उपर्युक्त वित्तीय बोली में यथाउल्लिखित के अनुसार कतिपय अर्हता प्राप्त कर्मचारी भी नियोजित करना होगा ।

ङ. एजेन्सी को अनुबंध-II में उल्लिखित स्टाफ अर्थात पर्यवेक्षक (एक), राजमिस्त्री (तीन), बढ़ई (एक), बिजली मिस्त्री, नलसाज (एक), पेंटर (एक) तथा इनकी सहायता के लिए 5 अर्ध कुशल हेल्पर तथा सीवर लाइन चॉक अप को साफ करने तथा इससे मिलता-जुलता कार्य करने के लिए 4 अर्ध कुशल सफाईवालों की सेवाएं उपलब्ध करानी होगी ।

च. उपर्युक्त सभी स्टाफ को सीप्ज़-सेज़ में प्रतिदिन सोमवार से शनिवार तक तैनात रहना होगा तथा फोन पर भी उपलब्ध रहना होगा । उन्हें सीप्ज़ सुविधा मॉड्यूल के जरिए किसी टीम/अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सौंपे जाने वाले कार्य भी करने होंगे ।

छ. पर्यवेक्षक/एजेन्सी को नियमित आधार पर तैनात किए जाने वाले व्यक्तियों द्वारा न किए जा सकने वाले सौंपे गए अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की भी व्यवस्था करनी होगी । एजेन्सी को फुटपाथ, भवनों के आस पास के क्षेत्र, कार्यालय क्षेत्र, गेट्स, गार्डन्स आदि जैसे कॉमन एरिया सहित क्षेत्र, आवासीय कॉम्प्लेक्स से संबंधित सभी प्रकार के कार्य करवाने होंगे । पर्यवेक्षक/एजेन्सी किसी कार्य विशेष में नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों का एस्टिमेट देना होगा, साथ ही उस कार्य में लगने वाली सामग्री की मात्रा तथा क्वालिटी का भी ब्योरा देना होगा । ऐसा करने से पूर्व उसको समिति का अनुमोदन प्राप्त करना होगा । पर्यवेक्षक/एजेन्सी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की पहले तथा बाद वाली स्टेज का फोटोग्राफ ले तथा प्रतिदिन प्रस्तुत करें/अपलोड करें । इसके अतिरिक्त समिति के अनुमोदन से राशि की प्रतिपूर्ति के लिए मासिक बिल प्रस्तुत करें ।

ज. सौंपे जाने वाले किसी कार्य के निपटान में दो दिनों से अधिक देर होने की स्थिति में एजेन्सी को विलंबित दिनों के लिए प्रत्येक दिन 5,000/- रू. के हिसाब से अर्थदंड लगाया जाएगा । एजेन्सी को सौंपे गए कार्य के दौरान सभी मलबे/अपशिष्ट सीप्ज़-सेज़ से मौजूदा स्थानीय निकायों के नियमों/विनियमों का अनुपालन करते हुए हटाने होंगे । इस पर होने वाले सारे व्यय एजेन्सी वहन करेगा । सीप्ज़-सेज़ में कार्य करने वाले सभी स्टाफ को एजेन्सी द्वारा ही यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना होगा जिस पर एजेन्सी का नाम लिखा होगा ताकि किसी भी व्यक्ति के लिए कर्मचारियों को पहचानना आसान हो ।

झ. अपेक्षा की जाती है कि एजेन्सी सभी आवश्यक कार्यों का निष्पादन अपने नियोजित स्टाफ द्वारा ही कराएगी ।

ञ. यदि किसी कार्य विशेष के लिए अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता हो, तो इसके लिए एजेन्सी को व्यवस्था करनी होगी तथा सीप्ज़ प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा । बशर्ते कि इस कार्य विशेष के लिए सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा गठित समिति को पूर्व सूचना दी गई हो तथा उसका अनुमोदन लिया गया हो ।

ट. विनिर्दिष्ट कार्य के निष्पादन के लिए एजेन्सी द्वारा स्थानीय बाजार से विनिर्दिष्ट वेंडरो से जिनका चयन कोटेशन के आधार पर किया जाएगा, से अपनी लागत पर सामग्री खरीदी जाएगी बशर्ते कि इसके लिए समिति को पूर्व सूचना की गई हो तथा अनुमोदन लिया गया हो ।

ठ. एजेन्सी द्वारा खरीदी जाने वाली सामग्री की प्रतिपूर्ति स्थल पर कार्य का आकलन किए जाने तथा सामग्री के उपयोग किए जाने के आधार के पश्चात समिति की सिफारिश के अनुसार सीप्ज़ प्राधिकरण द्वारा मासिक आधार पर की जाएगी ।

ड. समिति की सिफारिश के अनुसार बिल का मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा ।

ढ. किसी मामले में विवाद होने पर सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।

5. श्रमिकों की संरक्षा की एकमात्र जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी । बोलीदाता को कार्य का निष्पादित सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले अनुदेशों का अनुपालन करना होगा । उनके लिए सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण की सुरक्षा प्रक्रियाओं का अनुपालन करना भी आवश्यक होगा । श्रम विधियों, मजदूरी के भुगतान, कामगारों की संरक्षा आदि से संबंधित नियमों तथा विनियमों का भी अनुपालन करना होगा ।

(IV) **निविदा प्रस्तुत करने की क्रियाविधि के संबंध में:**

1. निविदाएं दो बोली प्रणाली में अर्थात 'तकनीकी बोली' तथा 'वित्तीय बोली' के रूप में प्रस्तुत की जाएं ।

   (i) **लिफाफा** 1 - "तकनीकी बोली" लिखा गया हो जिसमें अनुबंध-I के अनुसार तकनीकी पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज़ रखे जाएं ।

   (ii) **लिफाफा** 2 - "वित्तीय बोली" लिखा गया हो जिसमें अनुबंध- II तथा III के अनुसार बोली मूल्य रखा जाए ।

ये दोनों मुहरबंद लिफाफे एक साथ बड़े लिफाफे में प्रस्तुत किए जाएं जिस पर लिखा हुआ हो, "सीप्ज़ परिसर तथा सीप्ज़ स्टाफ कॉलोनी में स्थित सभी भवनों के (दिन प्रतिदिन के सिविल/विद्युत/नलसाजी/बढ़ईगीरी/पेंटिंग कार्यों) के वार्षिक अनुरक्षण से संबंधित निविदा" तथा यह लिफाफा सहायक विकास आयुक्त (प्रशासन), विकास आयुक्त कार्यालय, सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096 को संबोधित किया जाए ।

2. उपर्युक्त उल्लिखित मुहरबंद लिफाफा इस कार्यालय में दिनांक 01.06.2020 को अपराह्न 14.30 बजे तक डाक/कुरियर, स्वयं, प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सहायक विकास आयुक्त, प्रशासन द्वारा पावती के अधीन स्वीकारा जाएगा ।

3. निविदा जो विलंब से प्राप्त किए जाएंगे अथवा जो मुहरबंद नहीं होंगे अथवा जिनके ऊपर लिखा हुआ नहीं रहेगा, वे अस्वीकृत किए जा सकते हैं ।

4. निविदा दस्तावेजों (तकनीकी बोली) पर कंपनी के सील के साथ विधिवत हस्ताक्षर किए जाएं तथा जोकि मुद्रित फॉर्म में पूर्ण हो ।

5. निविदा के संबंध में किए जाने वाले प्रत्येक सुधार / विलोप / परिवर्धन / लिप्त लेखन/ चिपकाई गई पर्ची पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।

6. अपूर्ण, अस्पष्ट तथा सशर्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

7. आवेदक को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्राधिकार का प्रमाणपत्र (जोकि व्यक्ति, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म के संघ के रूप में लागू हो) प्रस्तुत करना होगा ।

8. यदि निविदा किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इस पर प्रत्येक पार्टनर द्वारा अलग-अलग अवश्य हस्ताक्षर किया जाए अथवा किसी पार्टनर की अनुपस्थिति में, उनकी ओर से इस पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किए जाने का मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा ।

9. आवेदक शब्दों के साथ अंकों में उल्लिखित दरों का उल्लेख करेंगे । यदि शब्दों में दरें, अंकों में उल्लिखित दरों से भिन्न होंगी, तो इनमें से जो भी दर कम होगी, वही सही दर माना जाएगा ।

10. आवेदक निविदा खोले जाने के समय स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर सकते है । प्राधिकृत प्रतिनिधि होने की दशा में निविदा खोले जाने के समय निविदा खोलने वाली समिति के समक्ष प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाए ।

11. समिति यदि चाहे, तो बोलीदाता की पात्रता निर्धारण के मामले में बिना कोई कारण बताए इसकी शर्त अथवा शर्तें शिथिल कर सकती है, संशोधित कर सकती है । बोली प्रस्तुत किए जाने के पश्चात किसी प्रकार की पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी ।

12. चयन के पहले फर्मों/कंपनियों की तकनीकी क्षमता/संरचनात्मक सुविधाओं का अभिनिश्चय किया जाएगा ।

13. सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय तथा किसी भी अवस्था में कोई अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है तथा इस संबंध में सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण का निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।

14. अपूर्ण बोली (अनुबंध-II तथा अनुबंध-III के अनुसार तकनीकी+वित्तीय) / अनुबंध-I के अनुसार आवश्यक दस्तावज़ों में से किसी दस्तावेज के न होने की स्थिति में बोली अस्वीकृत की जा सकती है तथा इस संबंध में किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

15. बोली वापस लिए जाने की स्थिति में ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा ।

(V) **निविदा का खोला जानाः**

1. लिफाफा-1 (तकनीकी बोली) दिनांक 01.06.2020 को अपराह्न 15.30 बजे, विकास आयुक्त कार्यालय, सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096 के दूसरे तल पर स्थित सम्मेलन हॉल में बोलीदाताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि /प्रतिनिधियों जो निविदा समिति के पूर्व उपस्थित होना चाहते हों, समक्ष खोली जाएगी ।

2. लिफाफा-2 (वित्तीय बोली) के खोले जाने की तारीख तथा समय की सूचना लिफाफा-1 के खोले जाने के समय सफल बोलीदाता को दी जाएगी ।

-हस्ता-
(केशव जाधव)
सहायक विकास आयुक्त/
संपदा प्रबंधक
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण

<u>अन्य निबंधन एवं शर्तें</u>

1. सफल बोलीदाता को सीप्ज़-सेज़ परिसर में प्रवेश के पहले अपने प्राधिकृत कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करवाना होगा तथा संपदा प्रबंधक, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा जब कभी मांगा जाए इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा ।

2. सफल बोलीदाता को निविदा करार में उल्लिखित निर्धारित समापन तारीख के अंदर कार्य पूरा करना होगा, ऐसा न करने की स्थिति में 500/- रू. प्रतिदिन की दर से अर्थदंड लगाया जाएगा ।

3. सफल बोलीदाता कार्य-क्षेत्र के अनुसार अपना कार्य करेगा, ऐसा न करने पर संविदा का भंग किया जाना माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण को बिना कोई कारण बताए संविदा को रद्द करने / समाप्त करने का अधिकार होगा तथा ईएमडी की राशि जब्त कर ली जाएगी । इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

4. सफल बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि "स्वच्छ भारत अभियान" की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्लांट के आस-पास का परिवेश साफ-सुथरा रहे । आस-पास के परिवेश में किसी प्रकार का दुर्गंध न फैले, इसके लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे ।

5. सफल बोलीदाता को कार्यस्थल पर प्राथमिक चिकित्सा सहायता किट रखना होगा ।

6. सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण सफल बोलीदाता द्वारा नियोजित कामगारों/कर्मचारियों को वेतन तथा/अथवा किसी प्रकार की अन्य परिलब्धियों के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा । सफल बोलीदाता अपने कामगारों/कर्मचारियों के किसी दावे के विरूद्ध प्राधिकरण को सर्वदा क्षतिपूर्ति करेगा । सफल बोलीदाता कार्यस्थल पर अपने द्वारा नियोजित जनशक्ति के संबंध में सरकार के साथ सांविधिक अनुपालनों के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगा ।

7. सफल बोलीदाता अथवा कामगारों/कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य/अथवा चूक के कारण सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण को कोई हानि/क्षति हो, तो सफल बोलीदाता द्वारा सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण को इसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी ।

8. सफल बोलीदाता तथा उसके कामगारों/कर्मचारियों को श्रम संबंधी नियमों सहित संविधिक नियमों तथा विनियमों तथा समय-समय पर सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा तथा वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनके पास वैध गेट पास हो तथा कामकाज के घंटों के दौरान अनुशासन भी बना रहे ।

9. **बिलिंग-** सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण संविदाकार से बिल प्राप्त करने के पश्चात एक महीने के अंदर इसका भुगतान करने का प्रयत्न करेगा । संविदाकार को दो प्रतियों में बिल के साथ पूरे किए गए कार्यों का विस्तृत माप तथा विवरण फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करना होगा । आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा सफल बोलीदाता द्वारा खरीद की गई सामग्री की मात्रा तथा उसकी गुणवत्ता का समिति द्वारा प्रमाणन किए जाने के पश्चात की जाएगी ।

10. निविदा हस्तांतरणीय नहीं है । सफल बोलीदाता किसी उप संविदाकार अथवा अन्य किसी संगठन को किसी भी रूप में न तो उप संविदा देगा और नहीं उसे निविदा सूचना के अंतर्गत अपने अधिकारों तथा दायित्वों को हस्तांतरित करने की अनुमति होगी ।

11. सफल बोलीदाता को संविदा दिए जाने की तारीख से 7 कार्य दिवसों के अंदर 10.00 लाख रूपए की प्रतिभूति जमा राशि के रूप में जोकि सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण निधि के पक्ष में आहरित मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर हो, के साथ इसमें निर्धारित निबंधन एवं शर्तों का स्वीकृति पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

12. सफल बोलीदाता द्वारा दिए गए ईएमडी ऊपर उल्लिखित शर्त संख्या 11 का अनुपालन किए जाने के पश्चात रिलीज़ किया जाएगा ।

13. शर्त संख्या 11 का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में कार्यादेश रद्द हो जाएगा तथा इसके चलते सफल बोलीदाता का ईएमडी भी जब्त कर लिया जाएगा ।

14. सफल बोलीदाता को संविदाबंधित होना होगा तथा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को संविदा करार निष्पादित करके उस पर हस्ताक्षर करना होगा ।

15. यदि सफल बोलीदाता की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो एक सप्ताह की नोटिस अवधि के साथ सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण को बिना कोई कारण बताए चालू संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय संविदा को समाप्त करने का अधिकार होगा ।

16. संविदा के समाप्त अथवा रद्द किए जाने के पश्चात बोलीदाता मुआवज़े/हर्जाने अथवा अन्यथा के रूप में प्राधिकरण से किसी भी प्रकार की राशि अथवा राशियां प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

17. सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के पास एक सप्ताह के सूचना अवधि के साथ बिना कोई कारण बताए संपूर्ण निविदा अथवा इसके किसी भाग को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है ।

18. यदि संविदा /कार्यादेश की अवधि के दौरान कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पार्टियां इसका सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने का प्रयास करेंगी । किंतु, ऐसी स्थिति में जहां ऐसा कोई विवाद अपालन अथवा भुगतान न किए जाने से संबंधित हो तथा जिसका समाधान उचित समय के अंदर परस्पर मिल जुलकर न किया जा सके, तो ऐसा मामला माध्यस्थम् तथा सुलह अधिनियम, 1996 के तहत एकल मध्यस्थ अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के तहत माध्यस्थम् अधिकरण को भेजा जाएगा । एकल मध्यस्थ की नियुक्ति दोनों पक्षों के आपसी विचार-विमर्श/सहमति के अधीन होगी तथा जिनका निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा । यदि दोनों पक्ष एकल मध्यस्थ को नियुक्त करने में विफल रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अधीन माननीय मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा मध्यस्थ नामित किया जाएगा । माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम,1996 के उपबंधों द्वारा माध्यस्थम् कार्यवाहियां तथा माध्यस्थम् पंचाट शासित होंगे ।

19. संविदाकार/सफल बोलीदाता को संविदा के प्रारंभ किए जाने से पूर्व लिखित करार पर हस्ताक्षर करना होगा । करार के एकबार हस्ताक्षरित हो जाने पर इस करार को दो प्रधान नियोक्ताओं के बीच किया गया करार माना जाएगा । यह करार सेवाओं के लिए ही होगा, सेवाओं का नहीं ।

<u>अनुबंध-I</u>

<u>तकनीकी बोली के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज</u>

1. सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण निधि" के पक्ष में आहरित मुंबई में देय किसी भी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 10,000.00/- (दस हजार रूपए मात्र) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) अथवा एमएसएमई/एनएसआइसी द्वारा जारी छूट प्रमाणपत्र ।

2. स्थानीय पीडब्लूडी (महाराष्ट्र सरकार)/रेलवे/एमजेपी/सिडको/सीपीडब्लूडी प्राधिकरणों से पंजीकरण की प्रतिलिपि ।

3. आवेदक कार्य विशेष के निष्पादन के लिए आवश्यक सामग्री का प्रयोग करते हुए भवनों/सड़कों/गटरों आदि के दिन प्रतिदिन के मरम्मत कार्यों की अच्छी तरह से जानकारी रखते हों ।

4. पैन तथा जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि ।

5. पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रतिलिपियां ।

6. बोलीदाता मुंबई स्थित होना चाहिए । इस संबंध में, टेलीफोन/इलेक्ट्रिसिटी बिल/करार की प्रतिलिपि यदि कोई हो, प्रस्तुत करें ।

7. आवेदक को संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 05 वर्षों का अनुभव अवश्य हो, इस संबंध में, केंद्र सरकार /केंद्र सरकार के उपक्रमों/महाराष्ट्र सरकार/महाराष्ट्र सरकार के स्वायत्त निकायों अथवा प्राइवेट सेक्टर द्वारा जारी इस प्रकार के कार्य करने के कार्यादेशों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की जाएं । पिछले पांच वर्षों के दौरान कम से कम 20.00 लाख रू. की लागत के इसी प्रकार के कार्य करने का दस्तावेजी प्रमाण भी अवश्य प्रस्तुत किया जाए ।

8. आवेदक को निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए विधिवत नोटरीकृत 100/- रू. का नॉन ज्यूडिशियल शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा:-

8.1 मैंने/हमने निविदा सूचना के निबंधन एवं शर्तों को पढ़ कर समझ लिया है तथा इसको बिना किसी विचलन के मैं/हम स्वीकार करता हूं/करते हैं ।

8.2 मेसर्स__________को किसी सरकार/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी कार्यालय द्वारा पहले काली सूची में नहीं डाला गया है ।

8.3 निविदा प्रस्तुत किए जाने तक न तो मेरा/हमारा तथा मेसर्स____________के किसी कर्मचारी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है और न ही किसी न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किया गया है । आगे मैं/हम यह आश्वासन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम अपनी/हमारी एजेन्सी से ऐसा प्रतिनिधि नियोजित करूंगा/करेंगे जिसका निविदा (तकनीकी+वित्तयी बोली) खोले जाने की तारीख तक की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होगी ।

8.4 मैं/हम सेवाओं के निष्पादन अथवा सेवा के निष्पादन का कार्य न तो किसी को सौंपेंगे, ना ही अंतरित करेंगे, ना ही गिरवी रखेंगे और ना ही उप ठेके पर देंगे तथा मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि निविदा दस्तावेज के निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करेंगे ।

*** ऊपर क्रम संख्या 2 से 8 तक में उल्लिखित सभी दस्तावेजों हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा कंपनी/एजेन्सी का स्टांप लगाया जाएगा । दस्तावेजों को अनुप्रमाणित न किए जाने की स्थिति में बोली अस्वीकृत की जाएगी ।**

अनुबंध-II

वित्तीय बोली फॉर्मेट

विषयः- सीप्ज़ परिसर तथा सीप्ज़ स्टाफ कॉलोनी में स्थित सभी भवनों के (दिन प्रतिदिन के सिविल/विद्युत/नलसाजी/बढ़ईगीरी/पेंटिंग कार्यो) का वार्षिक अनुरक्षण ।

(क) **आवश्यक स्टाफ का विवरण (वित्तीय बोली)-**

क्र.सं.	कर्मचारियों की कोटियों का विवरण	आवश्यक जनशक्ति की संख्या	यूनिट	बोलीदाता इनकी दरों का उल्लेख करें	राशि रूपयों में
1	अर्हता-प्राप्त पर्यवेक्षक	1.00	प्रति सं./प्रति माह		
2	कुशल राजमिस्त्री	3.00	प्रति सं./प्रति माह		
3	कुशल बढ़ई	1.00	प्रति सं./प्रति माह		
4	कुशल विद्युत	1.00	प्रति सं./प्रति माह		
5	कुशल नलसाजी	1.00	प्रति सं./प्रति माह		
6	कुशल पेंटर	1.00	प्रति सं./प्रति माह		
7	सहायता के लिए अर्ध-कुशल हेल्पर, राजमिस्त्री, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, नलसाज़ तथा पेंटर	5.00	प्रति सं./प्रति माह		
8	चोक अप सीवर लाइनों को साफ करने तथा इससे मिलते जुलते अन्य कार्य करने वाले अकुशल सफाईकर्मी	4.00	प्रति सं./प्रति माह		

तारीखः____________________ सील के साथ बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोलीदाता का नामः- ____________________

बोलीदाता का पदनाम ____________________

पता ____________________

*** उपर्युक्त वित्तीय बोली के अतिरिक्त बोलीदाता को आवश्यकतानुसार विशिष्ट कार्य के लिए आवश्यक अतिरिक्त जनशक्ति की पूर्ति के लिए प्रतिव्यक्ति के प्रतिदिन दरें भी कोट करनी होगी ।**

अनुबंध-III

वित्तीय बोली फॉर्मेट

(ख) आवश्यक अतिरिक्त स्टाफ का विवरण (वित्तीय बोली)-

क्र.सं.	कर्मचारियों की कोटियों का विवरण	आवश्यक जनशक्ति की संख्या	यूनिट	बोलीदाता इनकी दरों का उल्लेख करें	राशि रूपयों में
1	कुशल राजमिस्त्री	1.00	प्रति सं./प्रति माह		
2	कुशल बढ़ई	1.00	प्रति सं./प्रति माह		
3	कुशल नलसाजी	1.00	प्रति सं./प्रति माह		
4	कुशल नलसाजी	1.00	प्रति सं./प्रति माह		
5	कुशल पेंटर	1.00	प्रति सं./प्रति माह		
6	अर्ध-कुशल हेल्पर	5.00	प्रति सं./प्रति माह		
7	अकुशल सफाईकर्मी	4.00	प्रति सं./प्रति माह		

तारीखः____________________ सील के साथ बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोलीदाता का नामः- ____

बोलीदाता का पदनाम ____

पता ____

*हम वचन देते है कि हम संविदा अवधि के दौरान ऊपर कोट की गई दरों में हम परिवर्तन नहीं करेंगे तथा संबंधित कॉलमों में दर्शाई गई भुगतान अनुसूची को हम स्वीकार करते है ।

तारीखः सील के साथ बोलीदाता का नाम तथा हस्ताक्षर